न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –03/2014

उनवान

1. जलधारी पुत्र श्री जंगली जाति मीना निवासी ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. कपूरचंद पुत्र निश्रीलाल।
2. रूम्मल पुत्र निश्रीलाल
3. बबूलाल पुत्र केदारमल
4. गोविन्दनारायण पुत्र केदारमल
5. गोपाललाल पुत्र केदारमल
6. विष्णु पुत्र केदारमल
7. शिम्भू पुत्र मंगोली
8. उगन्ती पत्नि केदारमल

   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।
9. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषे0

वादीगण की ओर से श्री निर्मल कुमार शर्मा एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार गुप्ता एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 26/11/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा का निवासी है। भूमि खसरा संख्या 1327/2 रकबा एक बीघा सात बिस्वा वाके रामा गीजगढ तह0

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

सिकराय जिला दौसा में स्थित है यह भूमि आज दिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है। परन्तु भूमि का वास्तविक मालिक वादी है। वादी इस भूमि पर अपने पूर्वजों के समय अरसा करीब 100 वर्ष से आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है। वादी के मृतक पिता संवत 2012 से 2015 तथा 2016 की खसरा गिरदावरी में काबिज काश्तकार रहा है जो कि खसरा गिरदावरी से साफ स्पष्ट है। इस प्रकार वादी का मृतक पिता आर0टी0ए0 1955 के लागू होने के पूर्व से ही इस भूमि पर काबिज काश्त रहे है। एवं इसके उत्पादन से फलीभूत होते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने इस भूमि को वादी के पिता को को काश्त करने के लिए बता दी थी, वादी द्वारा इस भूमि पर काफी रूपया लगाकर उपजाउ बनाया गया है। माननीय राजस्व मण्डल की फूल बेंच ने 1991 आर.आर.डी. पेज संख्या 1 पर प्रकाशित रूलिंग में माना है कि काबिज व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त रहता है तो एडवर्स पजेशन के आधार पर उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। वादी एवं वादी के पूर्वज इस भूमि पर बहुत समय से काबिज काश्त है इसलिए उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। इसलिए दावा वादीगण डिक्री कर उदघोषणा वादी वर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जावे कि भूमि खसरा संख्या 1327/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके रामा गीजगढ तह0 सिकराय इस भूमि पर वादी तथा उसके पूर्वज अरसा करीब 100 वर्ष से आज रोज तक काबित काश्त चला आ रहा है अतः वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है इस कारण वादी को इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करें। रिकॉर्ड मं वादी का नाम इन्द्राज करें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं प्रतिदावा अधिवक्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि खातेदारी मिन जवाबदातागण की होना स्वीकार है भूमि संवत 2008 तक जागीदार की थी तत्पश्चात कब्जेदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा पर्चा संवत 2008 जारी हुआ तथा वादीगण को उक्त भूमि खातेदारो एवं उससे पूर्व उनके बुजुर्गानों ने बटाई पर बताई गयी थी मिन जवाबदातागण के बुजूर्ग वादीगण को उक्त भूमि को काश्त हेतु कभी कभी बता दिया करते थे तथा समय समय पर फसल बटाई प्राप्त कर लगान जमा करते थे। वादीगण मुतदाविया पर कोई अधिकार न पहले था न आज है वादीगण को उक्त भूमि पर ना तो पजेशन एवं काश्त नही रहा है केवल जो कब्जा वादीगण का था वह परमीदार था तथा इस आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं है। वादीगण के द्वारा उनकी खातेदारी पर अवैध कब्जा कर रखा है उसे बेदखल करवाने का हक व अधिकार मिनजवाबदाता को प्राप्त है इस कारण मिनजवाबदाता की ओर से प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए प्रतिदावा पेश कर अर्ज है कि वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

का उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं केवल मात्र वादीगण के द्वारा दावा हाजा मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। एवं उक्त आराजी से वाद के वादीगण को बेदखल करने की कृपा करें एवं कब्जा जवाबदातागण को संभलवाया जावे। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के प्रतिवादपत्र का जवाब पेश किया गया। उभयपक्षकारान के दावा, जवाब दावा, प्रतिदावा एवं जवाब उल जवाब के आधार पर पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम कर विवेचित की गई--

1 वादीगण प्रश्नगत भूमि पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।

वादीगण

2 प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी घोषणा पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषे0 जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

3 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण अवैध रूप से काबिज होने के कारण बेदखली की जाकर कब्जा प्रतिवादीगण विधिवत प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण

4 अन्य दादरसी

उक्तानुसार तनकीयात कायम कर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान की साक्ष्य प्राप्त की गई, जिरह की गई, दस्तावेजात प्रदर्शित की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि वादी एवं उनके पिता विवादित भूमि पर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय से भी पहले से काबिज काश्त है उन्हें स्वतः ही खातेदारी अधिकारी लम्बे कब्जे के आधार पर प्राप्त हो गए है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है जिस पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उनके द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा एवं प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण को बेदखल किया जावे एवं कब्जा प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। उभयपक्ष की बहस एवं उभयपक्षकारान द्वारा पेश साक्ष्य, दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है--

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

1 वादीगण प्रश्नगत भूमि पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2068–2071 खाता संख्या 73 पुराना 78 प्रदर्श पी 1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015, प्रदर्श पी 2 पेश की है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण लम्बे समय से काबिज काश्त है इसलिए उन्हें खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किए जा सकते है। इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस का मनन किया गया, वादीगण द्वारा केवल कब्जे मात्र के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गए है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 3 में स्वंय वादीगण का स्वीकार्य कथन है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता को भूमि काश्त करने के लिए बता दी थी, जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि प्रतिवादीगण की ही है तथा वादीगण को केवल काश्त करने हेतु बट पर दी गई है, इसलिए केवल कब्जे मात्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णित प्रकरण जयमल बनाम रमेश अपील डिक्री/टी.ए./9118/2008/जयपुर निर्णय दिनांक 09.03.2016 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि 2011 आर.आर.डी. पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम वगै0 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने जरिये निर्णय दिनांक 15.07.2015 अंतर्गत नजीर तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हुए निर्णय दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा इस प्रकरण में कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार चाहे गए है जिसके संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

2 प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी घोषणा पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषे0 जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए खातेदारी के अभाव में वादीगण स्थाई निषे0 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

3 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण अवैध रूप से काबिज होने के कारण बेदखली की जाकर कब्जा प्रतिवादीगण विधिवत प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रतिवादपत्र के समर्थन में दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादी द्वारा विवादित भूमि पर जबरन अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसलिए वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। जमाबंदी का अवलोकन किया गया, प्रतिवादीगण वाद वर्णित के खातेदार है इसलिए उनके कब्जा प्राप्त करने के हक अधिकार है। इसलिए तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4 अनुतोष– तनकीवार विवेचन के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाना एवं प्रतिदावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रतिदावा स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेश प्रदान किए जाते है कि वाद वर्णित भूमि से वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को करवाया जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय